

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

वि.को./नि./रु.ए.सी.पी.-07/2010

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले निम्नांकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को विभागीय स्त्रीनिंग समिति की दिनांक 28.11.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका-1(ii)(क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर संविलियन/नियुक्ति की तिथि	पे बैंड-2, ग्रेड पे- 4600/ पुनरीक्षित लेवल-8 रु. में प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	पे बैंड-2, ग्रेड पे- 4800/ पुनरीक्षित लेवल-9 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	पे बैंड-2, ग्रेड पे- 5400 / पुनरीक्षित लेवल-11 में तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	09.04.59	07.06.97	X	07.06.17	X	
2	श्री अमिताभ	28.03.63	03.06.97	X	03.06.17	X	
3	श्री गेन्धारी पासवान	12.06.69	15.11.95	X	15.11.15	X	
4	श्री कौशल किशोर द्विवेदी	13.09.63	20.05.97	X	20.05.17	X	
5	श्री अजय कुमार तिवारी	07.01.64	10.08.98	X	02.06.17	X	
6	श्री अशोक कुमार	04.09.67	03.07.98	X	25.02.17	X	
7	श्री रामाधार पासवान	02.09.63	23.05.97	X	23.05.17	X	
8	श्री श्यामानन्द ठाकुर	27.08.65	20.05.97	X	20.05.17	X	
9	श्री भगवान प्रसाद	19.01.63	22.11.95	X	22.11.15	X	
10	श्री अरविन्द कुमार	01.01.61	22.12.87	X	X	22.12.17	
11	श्री अशोक कुमार	02.06.67	26.05.97	X	26.05.17	X	
12	श्री धनप्रकाश उर्राव	15.12.64	20.09.06	20.09.16	X	X	
13	श्रीमती माया शरण	31.01.59	01.10.88	X	X	01.10.18	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 के अनुसार किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 के बाद के मामलों में संबंधित कर्मियों को स्वीकृत वित्तीय उन्नयन पुनरीक्षित लेवल में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 के आलोक में किया जा सकेगा।

3. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा-पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

